रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052024-254050 CG-DL-E-06052024-254050

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] No. 249]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946 NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2024

संख्या 25/2024-सीमाश्लक

सा.का.िन. 270(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.िन. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका के अनुलग्नक में, सूची 34 क एवं सूची 34 ख, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सूचियां एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात :-

" सूची 34क (तालिका का क्रमांक 359क देखें) - सूची 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक वैध है :

1. एक्सिस बैंक लिमिटेड

2894 GI/2024 (1)

- 2 फेडरल बैंक लिमिटेड
- 3. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
- 4. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड
- 5. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
- 6. इंडसइंड बैंक लिमिटेड
- 7. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
- 8 करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
- 9. आरबीएल बैंक लिमिटेड
- 10. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- 11. यस बैंक लिमिटेड

सूची 34ख (तालिका का क्रमांक 359क देखें) - सूची 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक वैध है :

- 1. इंडियन ओवरसीज बैंक
- 2. पंजाब नेशनल बैंक
- 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया"I

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/35/2023-टीओ (टीआरयू-1)]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पणी: -मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.िन.सं. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 15 मार्च, 2024, जिसे सा.का.िन.सं. 206(अ), दिनांक 15 मार्च, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2024

No. 25/2024 - Customs

G.S.R. 270(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50/2017- Customs, dated the 30^{th} June, 2017, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub-section (i), vide number G.S.R 785 (E), dated the 30^{th} June 2017, namely:-

In the said notification, in the Annexure to the Table, for List 34A and List 34B, and the entries relating thereto, the following Lists and entries shall respectively be substituted, namely:

"List 34A (See S. No. 359A of the Table) - with effect from 1st April, 2024 and valid upto 31st March, 2025

:

- 1. Axis Bank Limited
- 2. Federal Bank Limited
- 3. HDFC Bank Limited
- 4. Industrial and Commercial Bank of China Limited
- 5. ICICI Bank Limited
- 6. IndusInd Bank Limited
- 7. Kotak Mahindra Bank Limited
- 8. Karur Vysya Bank Limited
- 9. RBL Bank Limited
- 10. State Bank of India
- 11. Yes Bank Limited

List 34B (See S. No. 359A of the Table) - with effect from 1st April, 2024 and valid upto 31st March, 2025

:

- 1. Indian Overseas Bank
- 2. Punjab National Bank
- 3. Union Bank of India".

[F. No. CBIC-190354/35/2023-TO(TRU-I)]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: -The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 19/2024-Customs, dated the 15th March, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 206 (E), dated the 15th March, 2024.